PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Tue, 30 May 2017, Page 15
Width: 28.45 cms, Height: 32.43 cms, a3, Ref: 44.2017-05-30.140

GST: उपकर से भरेगा सरकार का खजाना

पहले नौ महीने में मिलेंगे कुल 55000 करोड़ रुपए

■ नई दिल्ली।

केंद्र को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद उसे पहले नौ माह में उपकर से 55,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इनमें एक बड़ा हिस्सा अहितकर और लग्जरी उत्पादों पर उपकर से प्राप्त होगा। सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है।

कोयले, लग्जरी उत्पादों तथा अहितकर वस्तुओं पर उपकर से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल नई कर प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।

राजस्व विभाग के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष की जुलाई से मार्च अवधि के दौरान कोयला, लिग्नाइट और दलदली कोयले पर उपकर से 22,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। एक सूत्र ने कहा कि तंबाकू पर उपकर से 16,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति की उम्मीद है। सूत्र ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा कोष में शेष राशि पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक और मोटर वाहनों पर उपकर से आएगी। राजस्व विभाग को उम्मीद है कि विभिन्न प्रकार के उपकर से राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो सकेगी।

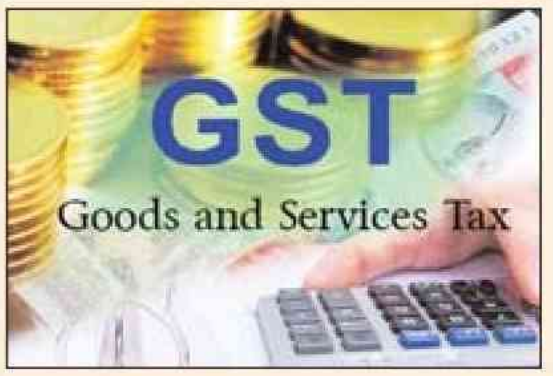

■ एक जुलाई से लागू होगी अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था
■ लग्जरी उत्पादों पर उपकर से प्राप्त होगा बड़ा हिस्सा
■ इससे राज्यों के नुकसान की काफी हद तक हो सकेगी भरपाई

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने हाल में कहा था कि हमारा मोटा-मोटा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के लिए मुआवजे को जितनी भी राशि की जरूरत होगी वह उपकर आय से पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसी वजह से छोटी कारों पर भी उपकर लगाया गया है।

विभाग की आंतरिक गणना के अनुसार मार्च, 2018 तक इस मुआवजा या क्षतिपूर्ति कोष में अधिशेष होगा, क्योंकि कुछ बड़े राज्यों को राजस्व का नुकसान नहीं होगा और सिर्फ छोटे राज्यों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। ■ भाषा